

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... 181 यक क... 25 (510) मुकाम... बापु

मेरा राम बनाम किशोरिंद कोर

किस्म मुकदमा... 111, 128 नं... 406/2020 सन्...  
RLR 20-

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
31.12.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री... मेरा राम... 111, 128 RLR ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/1/2021 को पेश हो। दिनांक 19/1/2021 सहायक क्लर्क (SDO) बायतु	
19/01/2021	पत्रावली पेश हुई परन्तु समय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तकाल तक दिनांक 26/04/2021 को पेश हो।	
26/04/2021	पत्रावली पेश हुई परन्तु समय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तकाल तक दिनांक 22/06/2021 को पेश हो।	
22/06/2021	पत्रावली पेश हुई परन्तु समय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तकाल तक दिनांक 28/10/2021 को पेश हो।	

28/10/2021

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपक्षियों के नोटिस लामिल कसु लामिल कसु। पीमा पीहलानि अधिपति प्रशासन गणों के लामिल मान-2021 कसुओं में व्यत्य होने के मिकाल इल्लवा दोहर कसुगी दिनांक-28/02/2022 को पैका दी।

अज अवालत  
रिख हुक  
30/03/2022  
लामिल अधिपति

28/02/2022

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपक्षियों के नोटिस लामिल कसु जात जिने लामिल पमावली विपक्ष गण। विपक्षियों का कसु लामिल अनुपस्थित। 10 माथालथ समय लीन वार कसुज लगाई गई कसुज कसुज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षियों कसु या उनही कसु से कसु अधिपति उपस्थित नही हुआ लामिल विपक्षियों के विरुद्ध र कसु कार्यवाही कसु में लाई जाती है कसु; वान्ते कसु पमावली दिनांक 30/03/2022 को पैका दी।

सहायक कलक्टर  
(SDO) वायडु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।</p>	

सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 /  
प्रार्थी 301

बनाम

दिनांक : 30/03/2022  
विप्रार्थीगण

1. भेराराम पुत्र जैसाराम वगैरा 11,  
जाति दर्जी, निवासी लाधाणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल अकदड़ा,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. किशनसिंह पुत्र आम्बसिंह वगैरा 14,  
जाति राजपुत, निवासी लाधाणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल अकदड़ा,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 406 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लाधाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - अकदड़ा, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 694 रकबा 31.1303 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत



सहायक पटवारी  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु  
दिनांक : 30/03/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 302 to 306  
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भेराराम पुत्र जैसाराम वगैरा 11,
4. विप्रार्थी श्री किशनसिंह पुत्र आम्बसिंह वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक पटवारी  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु